

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2897

दिनांक 10 मार्च, 2026 / 19 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

एसडीआरएफ और एनडीआरएफ निधि

+2897. श्री अभिषेक बनर्जी:
श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान बाढ़, चक्रवात और अचानक आई बाढ़ के लिए पश्चिम बंगाल सहित राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के अंतर्गत स्वीकृत, जारी और लंबित कुल राशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक आपदा के लिए राज्य सरकार द्वारा क्षति मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने और केंद्रीय सहायता जारी करने के बीच औसतन कितना समय लगा;

(ग) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल जैसे आपदाप्रवण राज्यों को राहत और पुनर्वास निधि जारी करने में तेजी लाने के लिए एक समयबद्ध तंत्र स्थापित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) बाढ़ और चक्रवात से प्रभावित पश्चिम बंगाल सहित राज्यों के एनडीआरएफ के अंतर्गत राज्यवार लंबित दावों की राशि कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार ने आपदा राहत सहायता के संवितरण में होने वाली देरी की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, उनके पास पहले से मौजूद राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के

लोक सभा अता. प्र.सं. 2897, दिनांक 10.03.2026

प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में है न कि नुकसान व क्षति के मुआवजे के लिए। संपूर्ण प्रक्रिया के लिए एनडीआरएफ/एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में परिकल्पित स्थापित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है जो मंत्रालय की वेबसाइट ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के अंतर्गत आवंटित और जारी की गई धनराशि का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान एनडीआरएफ के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का आपदा-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, एनडीआरएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की गणना के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाई जाती है। सबसे पहले, एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) द्वारा मौके पर ही आकलन किया जाता है, जिसमें सम्बंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ संबंधित राज्य के अधिकारी भी शामिल होते हैं। इसके बाद आईएमसीटी की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एससी-एनईसी) की उप-समिति द्वारा विचार किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करते हैं और जिसमें विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसके बाद, माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा एससी-एनईसी की सिफारिशों पर विचार किया जाता है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है, जिसमें केन्द्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य होते हैं। एचएलसी के अनुमोदन के बाद एनडीआरएफ से अतिरिक्त धनराशि जारी की जाती है।

राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता के मूल्यांकन और धनराशि जारी करने में तेजी लाने के लिए, भारत सरकार ने गंभीर प्रकृति की किसी भी प्राकृतिक आपदा के बाद और राज्य सरकार से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत आईएमसीटी की प्रतिनियुक्ति करने के लिए दिनांक 19.08.2019 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत धनराशि के आवंटन और जारी धनराशि का राज्यवार विवरण:

(करोड़ रुपये में)

क्र.म.	राज्य	केंद्र और राज्य के हिस्से सहित एसडीआरएफ के तहत आवंटन					एसडीआरएफ में केंद्र का जारी हिस्सा					एनडीआरएफ से जारी राशी (सभी आपदाओं के लिए)				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	आंध्र प्रदेश	1192.80	1192.80	1252.80	1315.20	1380.80	895.20	895.20	940.00	987.20	1036.00	657.01	351.43	--	--	56.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	222.40	222.40	233.60	245.60	256.80	200.00	200.00	210.40	220.80	115.60	59.34	--	--	--	--
3.	असम	686.40	686.40	720.80	756.80	795.20	617.60	617.60	648.80	680.80	716.00	44.37	--	250.00	--	29.02
4.	बिहार	1510.40	1510.40	1586.40	1664.80	1748.00	1132.80	1132.80	1189.60	1248.80	1311.20	1255.27	1038.96	--	--	--
5.	छत्तीसगढ़	460.80	460.80	484.00	508.00	533.60	345.60	345.60	181.60	181.60#	380.80#	--	--	--	--	33.24
6.	गोवा	12.00	12.00	12.80	12.80	13.60	9.60	9.60	9.60	9.60	10.40	--	--	--	--	31.50
7.	गुजरात	1412.00	1412.00	1482.40	1556.80	1635.20	1059.20	1059.20	556.00	1140.00#	600.00#	--	1000.00	--	--	--
8.	हरियाणा	524.00	524.00	550.40	577.60	606.40	392.80	392.80	412.80	433.60	455.20	--	--	--	--	--
9.	हिमाचल प्रदेश	363.20	363.20	380.80	400.80	420.00	327.20	327.20	342.40	360.80	378.40	2.90	--	214.26	787.25	84.56
10.	झारखंड	605.60	605.60	635.20	667.20	701.60	454.40	454.40	--	476.80#	1027.20#	--	200.00	--	--	--
11.	कर्नाटक	843.20	843.20	885.60	929.60	976.00	632.80	632.80	664.00	697.60	732.00	689.27	1623.30	939.83	--	3528.45
12.	केरल	335.20	335.20	352.00	369.60	388.00	251.20	251.20	264.00	277.60	291.20	--	--	--	--	--
13.	मध्य प्रदेश	1941.60	1941.60	2038.40	2140.80	2248.00	1456.00	1456.00	1528.80	1605.60	1686.40	1891.79	600.50	--	--	--
14.	महाराष्ट्र	3436.80	3436.80	3608.80	3788.80	3978.40	2577.60	2577.60	2706.40	2841.60	2984.00	420.12	1056.39	--	--	--
15.	मणिपुर	37.60	37.60	39.20	41.60	44.00	33.60	33.60	35.20	18.80	50.00	26.53	--	--	--	12.15

16.	मेघालय	58.40	58.40	60.80	64.80	67.20	52.80	52.80	27.20	27.20#	59.60	16.52	--	--	--	11.98
17.	मिजोरम	41.60	41.60	43.20	46.40	48.00	37.60	37.60	39.20	41.60	43.20	--	--	--	--	18.36
18.	नगालैंड	36.80	36.80	38.40	40.80	42.40	32.80	32.80	34.40	36.80	38.40	1.34	--	107.31	--	181.81
19.	ओडिशा	1711.20	1711.20	1796.80	1886.40	1980.80	1283.20	1283.20	1348.00	1415.20	1485.60	500.00	500.00	--	--	45.09
20.	पंजाब	528.00	528.00	554.40	582.40	611.20	474.43	396.00	416.00	436.80	458.40	--	--	--	--	29.60
21.	राजस्थान	1580.00	1580.00	1659.20	1742.40	1828.80	1184.80	1184.80	1244.80	1307.20	1372.00	68.65	--	13.46	--	--
22.	सिक्किम	44.80	44.80	47.20	49.60	52.00	40.00	40.00	42.40	44.80	47.20	73.86	55.23	--	81.89	229.82
23.	तमिलनाडु	1088.00	1088.00	1142.40	1200.00	1260.00	816.00	816.00	856.80	900.00	944.80	286.91	566.36	--	--	360.09
24.	तेलंगाना	479.20	479.20	503.20	528.00	555.20	359.20	359.20	188.80	584.80#	416.80	--	--	--	--	42.78
25.	त्रिपुरा	60.80	60.80	63.20	67.20	70.40	54.40	54.40	56.80	60.80	71.60	12.93	--	--	--	186.40
26.	उत्तर प्रदेश	2062.40	2062.40	2165.60	2273.60	2388.00	1546.40	1546.40	812.00	1664.80#	1748.40#	--	--	--	--	172.95
27.	उत्तराखंड	832.80	832.80	874.40	918.40	964.00	749.60	749.60	787.20	826.40	434.00	--	--	--	--	21.30
28.	पश्चिम बंगाल	1078.40	1078.40	1132.80	1189.60	1248.00	808.80	808.80	849.60	892.00	936.00	2250.28	350.13	--	--	84.77
कुल		23186.40	23186.40	24344.80	25565.60	26841.60	17825.63	17747.20	16392.80	19419.60	19830.40	8257.09	7342.30	1524.86	869.14	5160.77

#पिछले वर्ष के एसडीआरएफ के बकाया सहित।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान एनडीआरएफ के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का आपदा-वार विवरण:

क्र. सं.	राज्य	आपदा	एचएलसी द्वारा अनुमोदित राशि (करोड़ में)	एनडीआरएफ से जारी राशि (करोड़ में)
2020-21				
1.	ओडिशा	चक्रवात अम्फान	128.23	500.00
2.	ओडिशा	बाढ़	320.94	(खाते के आधार पर अग्रिम)
3.	पश्चिम बंगाल	चक्रवात अम्फान	2707.77	2250.28
4.	महाराष्ट्र	चक्रवात निसर्ग	268.59	268.59
5.	कर्नाटक	बाढ़/भूस्खलन	577.84	577.84
6.	मध्य प्रदेश	बाढ़	611.61	611.61
7.	सिक्किम	बाढ़/भूस्खलन	87.84	73.86
8.	असम	बाढ़/भूस्खलन	437.15	44.37
9.	अरुणाचल प्रदेश	बाढ़/भूस्खलन	75.86	59.34
10.	तेलंगाना	बाढ़	245.96	0.00
11.	उत्तर प्रदेश	बाढ़	386.06	0.00
12.	आंध्र प्रदेश	बाढ़	280.78	233.49
13.	बिहार	बाढ़	1255.27	1255.27
14.	तमिलनाडु	चक्रवात निवार	63.14	63.14
15.	तमिलनाडु	चक्रवात बुरेवी	223.77	223.77
16.	तमिलनाडु	बाढ़	213.51	213.51
17.	आंध्र प्रदेश	चक्रवात निवार	423.58	423.58
18.	हिमाचल प्रदेश	बाढ़/भूस्खलन/बादल फटना	121.17	0.00
19.	कर्नाटक	बाढ़	740.46	740.46
20.	महाराष्ट्र	बाढ़	151.53	151.53
21.	महाराष्ट्र	बाढ़	701.00	701.00
2021-22				
1.	गोवा	चक्रवात तौकते	0.00	0.00
2.	गुजरात	चक्रवात तौकते	1133.35	1000.00
3.	कर्नाटक	बाढ़/भूस्खलन	504.06	(खाते के आधार पर अग्रिम)
4.	मध्य प्रदेश	बाढ़	600.50	504.06
5.	असम	बाढ़/भूस्खलन	51.53	600.50
6.	उत्तराखंड	बाढ़/भूस्खलन	187.18	0.00
7.	पश्चिम बंगाल	चक्रवात यास	586.59	350.13
8.	पश्चिम बंगाल	बाढ़/भूस्खलन	475.04	
9.	तमिलनाडु	बाढ़	352.85	352.85
10.	हिमाचल प्रदेश	बाढ़/भूस्खलन/बादल फटना	112.19	0.00
11.	महाराष्ट्र	बाढ़/भूस्खलन	355.39	355.39
12.	आंध्र प्रदेश	बाढ़	351.43	351.43
13.	कर्नाटक	बाढ़/भूस्खलन	492.39	492.39
14.	बिहार	बाढ़	1038.96	1038.96
15.	राजस्थान	बाढ़	292.51	13.46
16.	सिक्किम	बाढ़/भूस्खलन	59.35	55.23

17.	ओडिशा	चक्रवात यास	-	500.00 (खाते के आधार पर अग्रिम)
2022-23				
1.	असम	बाढ़/भूस्खलन	520.47	160.94
2.	गुजरात	बाढ़	82.53	0.00
3.	कर्नाटक	बाढ़/भूस्खलन	941.04	939.83
4.	मेघालय	अचानक बाढ़/बाढ़/भूस्खलन	47.33	0.00
5.	नगालैंड	अचानक बाढ़/बाढ़/भूस्खलन	68.02	68.02
6.	हिमाचल प्रदेश	बाढ़, भूस्खलन और बादल फटना	239.31	214.26
7.	आंध्र प्रदेश	बाढ़	142.92	0.00
8.	महाराष्ट्र	बाढ़/भूस्खलन	577.50	0.00
9.	सिक्किम	बाढ़	47.43	46.89
2023-24				
1.	गुजरात	चक्रवात बिपरजॉय	338.24	0.00
2.	हिमाचल प्रदेश	बाढ़, बादल फटना, भूस्खलन	633.73	597.98
3.	आंध्र प्रदेश	चक्रवात मिचौंग	366.42	0.00
4.	असम	बाढ़, भूस्खलन	73.98	0.00
5.	सिक्किम	बाढ़, अचानक बाढ़, भूस्खलन	245.47	240.45
6.	तमिलनाडु	चक्रवात मिचौंग	285.54	276.10
7.	तमिलनाडु	बाढ़	397.13	
2024-25				
01	बिहार	बाढ़	588.73	0
02	तमिलनाडु	चक्रवात "फेंगल"	522.34	522.34
03	आंध्र प्रदेश	बाढ़	608.08	0.00
04	केरल	भूस्खलन	153.47	0.00
05	त्रिपुरा	अचानक बाढ़, भूस्खलन	288.93	174.97
06	नगालैंड	अचानक बाढ़, बाढ़, भूस्खलन	170.99	0.00
07	ओडिशा	चक्रवात "दाना"	255.24	0.00
08	मिजोरम	चक्रवात "रेमल"	64.14	7.56
09	तेलंगाना	बाढ़	231.75	0.00
10	हिमाचल प्रदेश	अचानक बाढ़, बाढ़, बादल फटना	136.22	107.15
11	असम	बाढ़	313.69	49.85
12	मणिपुर	ओलावृष्टि	153.36	114.88
13	गुजरात	बाढ़ 2024	394.28	0.00
